रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाईटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश
तृतीय तल, विकासदीप बिल्डिंग, 22 स्टेशन रोड, लखनऊ।

Telephone no: 0522-2635416 Email Id: registrarsocieties@gmail.com

डिप्टी/सहायक रजिस्ट्रार,
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स,
समस्त मण्डल।

विषयः सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 4–बी के तहत पंजीकृत की जाने वाली साधारण सभा की सूची की सत्यापित प्रतिलिपि निर्गत किये जाने हेतु सामान्य निर्देश ।

मण्डलीय कार्यालयों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध मे प्राप्त शिकायत की संवीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान मे आया है कि सहायक निबंधको और उप निबंधकों के कार्यालय द्वारा इस प्रकार की टिपण्णी सदस्यता सूची पर की जाती है कि "**सूची निर्वाचन व् चुनाव आदि के लिए अमान्य है**" जबकि सहायक निबंधको और उप निबंधकों के कार्यालय द्वारा अनुमोदित सूची पर ही किसी संस्था के पदाधिकारियों का निर्वाचन हो सकता है। जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा भी इसी सूची पर बल दिया जाता है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि सहायक निबंधक और उपनिबंधक अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन करते हुए अविवादित सूची पर अनुमोदन प्रदान नहीं कर रहे हैं एवं "सूची निर्वाचन व चुनाव आदि के लिए अमान्य है" की टिप्पणी अंकित की जा रही है ? यह स्थिति उचित नहीं है। उक्त के सम्बन्ध मे पूर्व में भी कई बार मासिक बैठकों में इस पर चर्चा उपरांत आवश्यक निर्देश दिये जा चुके है।

उपरोक्त के सम्बन्ध मे समस्त उपनिबन्धक/सहायक निबन्धक को निम्न निर्देश व प्रारूप निर्गत किये जा रहे है –

1. सदस्यता सूची मे दर्शाये गये परिवर्तनों का स्पष्ट उल्लेख कराया जायें। यथा–निष्कासन, त्याग पत्र अथवा मृत्यु। त्याग पत्र की दशा मे सम्बन्धित को नोटिस प्रेषित कर अभिमत ले लिया जाये। सदस्यता सूची मे सभी सदस्यों के मोबाइल नम्बर व आधार नम्बर का अंकन स्पष्ट रूप से कराया जाये।

2. सदस्यता सूची मे दर्शाये गये परिवर्तन के सम्बन्ध मे प्रस्तुतकर्ता संस्थाधिकारी से परिवर्तन के कारणों का स्पष्ट अंकन कराते हुये तत्सम्बन्धी घोषणात्मक शपथ पत्र/प्रमाण पत्र लिया जाये।
3. यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि नवीन/पुराने सदस्यों का सदस्यता साक्ष्य, मोबाइल नम्बर व आधार नम्बर पत्रावली पर अवश्य मौजूद हों।
4. सदस्यता सूची सम्बन्धी विवादों के निस्तारण के पश्चात जब अविवादित सदस्यता सूची पर सहायक निबंधक अथवा उपनिबंधक का मत स्थिर हो जाए तो ऐसी सूची पर सम्बंधित कार्यालय द्वारा ''अनुमोदित'' ''पंजीकृत'' की मुहर प्रत्येक पृष्ठ पर लगायी जाये।
5. मतदाता सूची की भांति ही साधारण सभा के कवर पेज पर एक प्रमाण पत्र भी लगाया जायें, जिसपर संस्था का नाम, पंजीकरण संख्या व दिनांक, संस्था का नवीनीकरण संख्या व तिथि, सूची मे पृष्ठो की संख्या, प्रत्येक पृष्ठ पर कितने सदस्यों के नाम अंकित है, विगत ''अनुमोदित'' एवं ''पंजीकृत'' सूची की तुलना में इस सूची में कितने नाम विलोपित किये गए हैं और कितने नए सदस्य जोड़े गए है, का स्पष्ट उल्लेख हों एवं विलोपित ओर परिवर्धित सदस्यों की सूची ''अनुमोदित'' एवं ''पंजीकृत'' सूची के अंत में परिशिष्ट के रूप में सलग्न की जायें।
6. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के मार्च माह में ऐसी ''अनुमोदित'' एवं ''पंजीकृत'' सूची तैयार की जाए और उसमें विगत वित्तीय वर्ष के समस्त परिवर्धन जो कि विगत सूची में परिवर्धन के रूप में परिशिष्ट में थे, उनको प्रचलित वित्तीय वर्ष की सूची में सम्मिलित करते हुए उनका यथानुसार क्रमांक निर्धारित कर दिया जाए। यही व्यवस्था विलोपनों के लिए भी की जायें।
7. विगत वित्तीय वर्ष के परिशिष्ट में समस्त विलोपनों को प्रचलित वित्तीय वर्ष में से हटाते हुए अंतिम सूची तैयार की जाए जिस पर ''अनुमोदित'' एवं ''पंजीकृत'' की मुहर प्रत्येक पृष्ठ पर लगाते हुए यह भी प्रमाणित किया जाए कि यह सूची किस वित्तीय वर्ष के लिए ''अनुमोदित'' एवं ''पंजीकृत'' की गयी है और यह कब तक अनुमन्य रहेगी।
8. उपरोक्त आशय का प्रमाण पत्र सहायक निबंधक और उपनिबंधक के स्वयं के हस्ताक्षर से होगा।
9. सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर सम्बंधित पटल सहायक, प्रशासनिक अधिकारी सहित सहायक निबंधक और उपनिबंधक के इनिशियल होंगे और प्रत्येक पृष्ठ पर ''अनुमोदित'' एवं ''पंजीकृत'' की मुहर भी लगेगी।
10. एक बार सूची ''अनुमोदित'' एवं ''पंजीकृत'' हो जाने के बाद संस्था इस सूची के आधार पर अपने पंजीकृत बाईलाज के आधार पर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगी और इस सम्बन्ध में

सहायक निबंधक और उपनिबंधक के स्तर से कोई अन्यथा निर्देश देने अथवा प्रतिबन्ध लगाये जाने का कोई औचित्य नहीं होगा।

11. सदस्यता का सामान्य प्रारूप निम्नवत् है –

क्रम सं0	सदस्य का नाम	सदस्य के पिता का नाम	पता	व्यवसाय	सदस्यता ग्रहण की तिथि	प्रबन्धसमिति की बैठक का दिनांक जिसमे सदस्यता का अनुमोदन किया गया।	सदस्यता का प्रकार	सदस्यता रसीद संख्या, सदस्यता शुल्क किस बैंक खाते मे कब व किस दिनांक को जमा किया गया।	मोबाइल नम्बर	आधार नम्बर	फोटो

(समीर)
रजिस्ट्रार

Digitally signed by
SAMEER VERMA
Date: 17-09-2025
16:05:36

कार्यालय उप/सहायक निबंधक, फर्म्स सोसायटीज़ एवं चिट्स

मण्डल : ____________________

क्रमांक: _____________ / दिनांक: / /20__

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ___________________________ (संस्था का नाम) (पंजीकरण संख्या) (पत्रावली संख्या) (पंजीकरण दिनांक) द्वारा वर्ष **2025-26** हेतु प्रस्तुत अद्यतन सदस्यता सूची, जिसमें परिवर्धन एवं विलोपन की प्रविष्टियाँ सम्मिलित हैं, संस्था की कार्यकारिणी की स्वीकृति के पश्चात प्राप्त हुई है।

उक्त सूची का परीक्षण **उत्तर प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** एवं अधिनियम में सम्मिलित **धारा 4-B** के अनुसार किया गया है |

यह सदस्यता सूची दिनांक / /20__ से दिनांक / /20__ तक विधिमान्य रहेगी, अथवा जब तक संस्था द्वारा नई अद्यतन सूची प्रस्तुत कर पंजीकृत नहीं कराई जाएगी |

संस्था द्वारा प्रस्तुत सभी प्रविष्टियाँ संस्था की नियमावली एवं उपविधियों के अनुरूप हैं तथा विधिवत अनुमोदित की गई हैं। यह सूची कार्यालय में अभिलेख हेतु पंजीकृत की गई है।

दिनांक: / /2025

स्थान: ___________________

हस्ताक्षर: ___________________	हस्ताक्षर: ___________________	हस्ताक्षर: ___________________
(पटल सहायक)	(प्रशासनिक अधिकारी/प्रधान सहायक)	(निबंधक, सोसायटीज़)
नाम: ___________________	नाम: ___________________	नाम: ___________________
मोहर: ___________________	मोहर: ___________________	मोहर: ___________________

परिवर्धन एवं विलोपन सूची का प्रारूप

परिवर्धन एवं विलोपन सूची

(सदस्यता सूची के साथ संलग्न)

क्रम संख्या	**सदस्य का नाम**	**पिता/पति का नाम**	**पता व मोबाइल नंबर**	**जन्म तिथि**	**लिंग**	**सदस्यता क्रमांक**	**प्रकार (परिवर्धन/ विलोपन)**	**कारण**	**अनुमोदन तिथि**
1	*अजय वर्मा*	*श्री रमेश वर्मा*	*लखनऊ*	*12/05/1988*	*पुरुष*	*101*	*परिवर्धन*	*नई सदस्यता स्वीकृत*	*01/09/2025*
2	*सीमा त्रिपाठी*	*श्री मनोज त्रिपाठी*	*कानपुर*	*20/11/1980*	*महिला*	*56*	*विलोपन*	*त्यागपत्र स्वीकृत/Death*	*05/09/2025*

नोट: प्रत्येक प्रविष्टि के साथ संस्था की कार्यकारिणी की स्वीकृति की प्रति संलग्न की जाए।

प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाण पत्र

(सदस्यता सूची के कवर पर संलग्न)

संस्था का नाम -

पता -

पत्रावली संख्या -

पंजीकरण संख्या व दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि संलग्न सदस्यता सूची संस्था की कार्यकारिणी की स्वीकृति के पश्चात तैयार की गई है। परिवर्धन एवं विलोपन की प्रविष्टियाँ संस्था के नियमों एवं उत्तर प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 4-b के अनुसार की गई हैं। सभी परिवर्तन संस्था की बैठक में अनुमोदित किए गए हैं, जिसकी कार्यवाही की प्रति संलग्न है।

दिनांक: / /20__

स्थान: ____________________

हस्ताक्षर: ____________________

(अध्यक्ष/सचिव)

नाम: ____________________

पद: ____________________

संस्था की मोहर: ____________________

नोट - (उक्त प्रमाण पत्र Rupees 10/- के non judicial stamp पर नोटरी द्वारा सत्यापित होगा)